FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 17 / 2021 प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.2021	सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व / 2020 / 935 दिनांक 21.09.2020 द्वारा ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा के बिलानाम खसरा नम्बर 271 रकबा 0.14 बीघा किस्म बजंड में से रकबा 0.05 बीघा भूमि का मौके पर रास्ता चालु है जो ग्राम केसरपुरा के आराजी नं0 221 गै.मु. रास्ते से जालमपुरा की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता है। उक्त रास्ते का सार्वजनिक आवागमन एवं ग्रामवासियों के आने–जाने में उपयोग हो रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। जिसके समर्थन में सम्वत् 2070 से 2073 की नकल जमावन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का करेड़ा के तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12.01.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा	
12.01.2021	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीदार की रिपोर्ट / अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **आदेश** अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा के बिलानाम राजकीय भवनों के लिए आरक्षित खसरा नम्बर 271 रकबा 0.14 बीघा किस्म बजंड़ में से रकबा 0.05 बीघा भूमि का मौके पर रास्ता चालु है जो ग्राम केसरपुरा के आराजी नं0 221 गै.मु. रास्ते से जालमपुरा की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता है। उक्त रास्ते का सार्वजनिक आवागमन एवं ग्रामवासियों के आने–जाने में उपयोग हो रहा है को राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट–'ए' में वर्णितानुसार [illegible] कार्यवाही करे। पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। मिसल [illegible] र होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर,करेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.02.19 14:21:19 IST
Reason: SelfAttested

SPP 17/2021
2021/68